दिनांक- 22.11.2013 को 11:00 बजे सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में चार्टड एकाउंटेन्टों के साथ अंकेक्षण कार्य के संबंध में संपन्न बैठक की कार्यावाही

1. उपस्थिति:- अनुलग्नक के अनुसार ।
2. बैठक में उपस्थित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के साथ विभिन्न योजनाओं के अंकेक्षण की प्रगति के संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

I. सभी प्रतिनियुक्त चार्टड अंकेक्षकों को दो सप्ताह के अंदर सभी बचे हुए अंकेक्षण कार्य को पूरा कर संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जमा करने का निदेश दिया गया ।

II. बैठक में सभी जिलों में चल रही BRGF, तथा चतुर्थ एवं तेरहवीं वित्त योजनाओं का अंकेक्षण कार्य जिलों/DRDA में प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों के द्वारा ही कराये जाने तथा जिन जिलों/ DRDA में अन्य अंकेक्षकों संबंधित योजनाओं का अंकेक्षण कराया जा चुका है वहाँ छोड़कर अन्य जिलों में उक्त योजनाओं का अंकेक्षण कार्य प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों से ही कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस आशय का निदेश सभी जिला पदाधिकारी व सभी उप विकास आयुक्त को भेजने का निदेश दिया गया ।

III. सभी उप विकास आयुक्त को इस आशय का पत्र दिया जाय कि प्रतिनियुक्त अंकेक्षको के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा किये जाने के पश्चात आवश्यक जाँच करते हुए 15 दिनों के अंदर उन्हें अंकेक्षण कार्य के विरूद्ध भुगतान कर दिया जाय ।

IV. गत वर्ष DRDA, मुजफ्फरपुर में अंकेक्षण का कार्य सिंह रे मिश्रा एण्ड कंपनी के द्वारा किया गया था जिनका भुगतान उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर के द्वारा अब तक नहीं किया गया है । इसकी जाँच करके देय राशि का अविलंब भुगतान करने के लिए उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया जाय । पूर्व में इस आशय का निदेश उप विकास आयुक्त को पत्रांक- 167492 दिनांक- 18.10.2013 द्वारा दिया जा चुका है ।

V. वार्ता के क्रम में अंकेक्षण कार्य में पाई गई स्थिति के आधार पर Feedback (प्रति पुष्टि) तैयार करने के लिए निम्न सी0ए0 स्वेच्छा से तैयार हुए ।

(क) अंजनी जैन एण्ड एसोसियटस एण्ड कंपनी (गया):- मनरेगा

(ख) खेतान राजेश कुमार (बक्सर):- इंदिरा आवास योजना

Letter No 222 New CA Meeting (General Letter D.Drive)

(ग) जी0के0 सुरेश एण्ड कंपनी (सीतामढ़ी):- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

(घ) डी0के0 जमुआर एण्ड कंपनी (किशनगंज):- SGSY

(ङ) ठाकुर भुवनेश एण्ड एसोसियट (पटना):- BRGF

(च) सुबोध गोयल एण्ड कंपनी (खगड़िया):- 13th वित्त

(छ) राकेश सौरभ एण्ड कंपनी (लखीसराय):- 4th वित्त

उपरोक्त सभी सी0ए0 फर्म की सहमति से यह तय किया गया कि संबंधित फर्म अपने सामने लिखी योजनाओं का अन्य प्रतिनियुक्त सी0ए0 फर्म से दस्तावेज तथा प्रतिपुष्टि प्राप्त कर के मूल्यांकन एवं अनुसंधान कर विभाग को अपने समेकित प्रतिवेदन से अवगत करायेगे जिससे आने वाले समय में इसका उपयोग कर अंकेक्षण का कार्य अधिक गुणवत्ता पूर्वक कराया जा सकें । इसके साथ ही अन्य प्रतिनियुक्त सी0ए0 फर्मो के प्रतिनिधियों के द्वारा भी इसमें सहयोग दिये जाने की सहमति दी गई ।

VI. सभी संबंधित चार्टड एकाउंटेंट संबंधित जिलों में प्रतिनियुक्त होने वाले लेखा लिपिकों को 15 दिनों का (व्यवहारिक एवं सैधातिक) प्रशिक्षण देंगे जिनके लिए उन्हें प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षु मो0 रू0 300/- दिये जायेगे । ये लेखा लिपिक सभी प्रखंडों के नियुक्त किये जायेगे । इस पर विचार किया जायेगा।

3. तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई ।

20/11/13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 169797 / पटना, दिनांक 29.11.13

सं0सं0-ग्रा0वि0-06/सी0ए0-03-02/2013

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ बैठक में उपस्थित सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ । इस पत्र को विभागीय Website पर upload करें ।

विश्वासभाजन

29/11/13

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

Letter No-222 New CA Meeting (General Letter D.Drive)